

तारीख
दुकम

दुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

GCMS No.....

नम्बर
अदालत
दुकम
में जारी प्र
दुकम

२५ ०७
२५

पनावली चेश दुर्ग लण्डन के वकील डी
एच।

मजिस्ट्रेट अफ क्वॉन्टर्स थाप १७७ एचके सुनी
मजिस्ट्रेट

पनावली मजिस्ट्रेट प्रोसेच्यूर कल गणना है
इवलीक किल गला अदालत क्वॉन्टर्स थाप १७७
एचके पर मजिस्ट्रेट कल डूए विजिल केंद्र प्रोसेच्यूर
कल प्रोसेच्यूर किल गला प्रोसेच्यूर विजिल के

इवलीक के वकील कल वाड क्वॉन्टर्स थाप १७७
एचके अदालती मजिस्ट्रेट डीन से स्वीकार किल
पनावली विजिल विजिल कल डीनो पनी प्रोसेच्यूर

डी विजिल मजिस्ट्रेट वाड डी पनावली प्रोसेच्यूर
एचके डीन मजिस्ट्रेट डी कल डी वाड तक्कील
पनावली प्रोसेच्यूर एचके डीन मजिस्ट्रेट डी

मजिस्ट्रेट
३५७
१०/५/२०२४

सहायक कलक्टर
(फास्ट टैक) जैतारण

डिक्री बमुकदमें इब्तदाई
(ओ 21 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

मज अदालत :- सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), मुकाम:- जैतारण
ईजलास :- श्री रवि प्रकाश, आर0ए0एस0

वादी :- बनाम प्रतिवादीगण

राजस्थान सरकार जरिये भूमि 1. ओमप्रकाश पुत्र कालुराम जाति सीखी
अधिकारी तहसीलदार जैतारण 2. मांगीलाल पुत्र रायचंद जाति सीखी
मु0न0 :रा0वा0स0: 98/2023

राजस्व प्रार्थना-पत्र बाबत बेदखली अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी
अधिनियम, 1955

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रुबरू-..... व
हाजरी तहसीलदार जैतारण, सरकारी पैरोकार मिनजानिब मुद्धई व मिनजानिब मुद्धायलाह
श्री नितेश चौहान व श्री रामस्वरूप चौधरी, अधिवक्ता, प्रतिवादीगण पेश होकर हुक्म
दिया जाता है कि अंतर्गत धारा-177, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955
भली-भाँति साबित होने से स्वीकार किया जाता है। वादग्रस्त आराजी सरहद मौजा
गरनीया पटवार हल्का गरनीया के खसरा नम्बर 161/2 कुल रकबा 0.1133 किस्म
ग्राही प्रथम में से अकृषिक प्रयोग लिए गए 0.0404 हेक्टेयर रकबे को खातेदारी से
विलोपित करते हुए खातेदार के कुल रकबे में से कम किया जाकर सिवायचक खाता
सरकार दर्ज करते हुए तहसीलदार जैतारण को निर्देशित किया जाता है कि उक्त भूमि
को तत्काल कब्जा राज लेते हुए मौके पर निर्मित अकृषिक संरचनाओं को भौतिक रूप
से बेदखल करें तथा इस आदेश का भू-अभिलेख में अमल दरामद करें।

बीज-.....मुबलिक.....-.....बाबत.....-.....खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर
.....-.....फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक-.....को अदा करें।

बसिब्ल मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख 24.07.2025

को जारी किया गया।

मोहर



सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) जैतारण
जिला-ब्यावर (राज0)

मुद्धई	रुपये	पैसे	मुद्धायलाह	रुपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	0.00		स्टाम्प वकालतनामा	2.00	
स्टाम्प वकालतनामा	0.00		स्टाम्प अर्जी	1.00	
स्टाम्प वजह सबूत	0.00		महनताना वकील	0.00	
महनताना वकील	0.00		खर्चा गवाहान	0.00	
खर्चा गवाहान	0.00		फीस कमीशनर	0.00	
फीस कमीशनर	0.00		बाबत ईजराय हुक्मनामा	0.00	
बाबत ईजराय हुक्मनामा	0.00		मुत्फरिक	0.00	
मिजान:-	0.00		मिजान:-	3.00	

नोट:- इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को वाहे डिक्री के जरिए दिलाया गया
है, नहीं दर्ज किया जावे।